भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2655
जिसका उत्तर सोमवार, 28 जुलाई, 2014 को दिया जाना है

एच पी एफ एल का पुनरुद्धार

2655. श्री टी. जी. वेंकटेश बाबू:
श्री सी. गोपालकृष्णन:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स लिमिटेड (एचपीएफएल) के कार्य निष्पादन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार का तमिलनाडु में एचपीएफएल की ऊटी शाखा का पुनरुद्धार करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और एचपीएफएल का पुनरुद्धार कब तक किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री पोन्. राधाकृष्णन)

(क): कंपनी में उत्पादन पिछले एक वर्ष से बंद है और भारत सरकार एचपीएफ को उसके कर्मचारियों के वेतन/मजदूरी तथा सांविधिक देयताओं के भुगतान के लिए योजनेतर ऋण दे रही है जिसका ब्यौरा नीचे दिए गए अनुसार है:

i) 01.04.2010 से 31.08.2013 तक की अवधि के लिए सांविधिक देयताओं के भुगतान के लिए ₹11.09 करोड़ जारी किए गए हैं।

ii) 01.04.2010 से 31.08.2013 तक की अवधि के लिए वेतन/मजदूरी के भुगतान के लिए ₹16.21 करोड़ जारी किए गए हैं।

दिनांक 30.6.2014 की स्थिति के अनुसार कंपनी की कुल बकाया देयता ₹13490.54 करोड़ (अनंतिम) (मूलधन ₹873.78 करोड़ और ब्याज ₹12616.76 करोड़) है।

(ख) से (घ): कंपनी दिनांक 14.10.1995 को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) को संदर्भित की गई थी और दिनांक 23.01.1996 को रूग्ण घोषित कर दी गई।

30 जनवरी, 2003 को, कंपनी को समाप्त करने की सिफारिश करते हुए बीआईएफआर आदेश जारी किए। कंपनी और व्यापार संघ द्वारा एएआईएफआर में दायर की गई अपीलें रद्द कर दी गई थीं। इसे मद्रास उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई और यह मामला अभी लंबित है।

एचपीएफ के पुनरुद्धार हेतु एक प्रस्ताव सीसीईए के समक्ष रखा गया था जिस पर सीसीईए ने 23.8.2012 को हुई अपनी बैठक में विचार किया था तथा इसे वापस ले लिया गया था। एफपीएफ के कर्मचारियों को बकाया का भुगतान किए बिना 2007 के नोशनल वेतनमान पर वीआरएस देने के एक परिष्कृत प्रस्ताव को भी सीसीईए ने 28.2.2014 को अनुमोदित कर दिया है। इस प्रस्ताव के कार्यान्वयन का मामला माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के विचाराधीन है।

*****